




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फ़ैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 18/107-2021 PGT-III (2)

DATED, PANCHKULA 26.08.2021

Smt. Anjali, PGT Commerce, Govt. Girls Sr. Sec. School, Alawalpur (Palwal) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **18.08.2021 to 12.11.2021 (87 Days)** as per Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

J. GANESAN, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 26-8-21

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, **Palwal** w.r.t. their letter No. E-1/21/1021 dated 28.07.2021.
2. Principal concerned.
3. Official concerned.
4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

E:\Singla Office\Sanction\CCL Sanction 2021.docx

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253


कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फ़ैक्स: 91 (0172) 2560253





GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER

NO. 4/82-2021 HRME-II (1)

Dated, Panchkula, the:- 24.08.2021

The following Group-D, Class-IV employee are hereby appointed by transfer with immediate effect:-

Sr. No.	Name Sh/ Smt., Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1.	Vikram Class-IV [097778]	GSSS, Dalamwala [1547] Jind	DIET Ikkas [4248] Jind	A/V
2.	Sugna Devi Class-IV [068800]	GMSSS, Badhra [658] Charkhi Dadri, Bhiwani	GSSS Sohansara [628] Bhiwani	A/V
3.	Ramphal Class-IV [097691]	GSSS Guhna [2164] Kaithal	GGSSS, Padla [4745] Kaithal	A/V
4.	Smt. Sudesh, Class-IV [098215]	GSSS Muana [1501], Jind	GHS Singhpura [2887] Sirsa	A/V
5.	Satpal, Class- IV [00869]	GSSS Siwari [792], Gurugram	GMS Farrukh Nagar [4326], Gurugram	A/V

Note :-

1. The official will be relieved immediately and if he/she fails to do so, he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.
If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, It should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
4. Consent/affidavit of the official be taken that he is willing to loose his/her seniority in case of requested transfer orders.
5. The condition that official has not been joined previous transfer place of posting is not implemented on Cancellation Order.
6. The official will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

E:\Ashok Sir\Transfer of Class IV\Transfer order.docx



his present working station and also supply the information to the Directorate.

7. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.


VIVEK KALIA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-II
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 4/82-2021 HRME-II (1)

Dated Panchkula, the:- 26.8.2021

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer concerned.
3. Concerned Institution.
4. Official concerned.
5. IT Cell.
6. Separate copy for Data Entry Operator for MIS to update the data of the concerned official.


Dy. SUPERINTENDENT HRME-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA
ORDER**

No. 18/30-2018 PGT-III (9) Dated, Panchkula the 23.08.2021

Smt. Reetu Rani, PGT in English, Govt.Sr. Sec. School, Kundli District Sonapat is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 23.08.2021 to 06.11.2021 as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, 11/102/2009-3FR dated 05.07.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**J. GANESAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 26/8/2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Sonapat.
2. Principal/Headmaster, GSSS Kundli, District Sonapat.
3. Smt. Reetu Rani, PGT in English, GSSS Kundli, District Sonapat.
- ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website.
5. Office record.

u.g.
26.8.21
**Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA
ORDER**

No. 18/93-2021 PGT-III (9)

Dated, Panchkula the 25.08.2021

Smt. Suman Lata, PGT in English, Govt. Girls Sr. Sec. School, Thanesar, District Kurukshetra is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 25.08.2021 to 30.10.2021 as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, 11/102/2009-3FR dated 05.07.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**J. GANESAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE

26/8/2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Kurukshetra.
2. Principal/Headmaster, GGSSS Thanesar, Kurukshetra.
3. Smt. Suman Lata, PGT in English, GGSSS Thanesar, District Kurukshetra.
- ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website.
5. Office record.

u/ges
26.8.21
**Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula @**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Order No. 20/55-2020 PGT-IV (1)

Dated, Panchkula 19.08.2021

Smt. Meena Shewal, PGT Chemistry, Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School, Morni Hills (Panchkula) is hereby granted child care leave w.e.f. 23.08.2021 to 20.11.2021 **(90 days)** subject to fulfillment of the provisions of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

**J. Ganesan
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 24.8.2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Panchkula w.r.t their letter No. E-1/2021/3239 dated 27.07.2021.
2. Principal, Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School, Morni Hills (Panchkula).
3. Smt. Meena Shewal, PGT Chemistry, Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School, Morni Hills (Panchkula).
4. I.T. Cell for uploading the orders on website of Directorate.

U. G.
24.8.21
**Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Order No. 20/119-2021 PGT-IV (3)

Dated, Panchkula, the 19.08.2021

Dr. Seema, PGT-Chemistry, GSSS, Nawada, Fatehpur, Gurugram is hereby granted child care leave from 19.08.2021 to 16.02.2022 (182 days) subject to fulfillment of the provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

J. Ganesan
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 25.8.2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The District Education Officer, Gurugram vide their letter No. E-2/2021/2260, dated 11.08.2021.
2. Principal, GSSS, Nawada, Fatehpur, Gurugram.
3. Dr. Seema, PGT-Chemistry, GSSS, Nawada, Fatehpur, Gurugram.
4. I.T Cell for uploading the orders on website of Directorate..

19/8/21
Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA
Order No. 10/19-2021 HRG-I (3) **Dated, Panchkula, the 20.08.2021**

In exercise of the provisions of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016 under rule 65 Sanction is hereby accorded to the payment of Cash Equivalent to Leave salary for 300 days **(Three Hundred days only)** in lieu of Earned Leave to the Credit of Sh. Surajbhan Singh, (Retd.) District Elementary Education Officer, Rewari retired from the Government Service on 31.05.2021.

This further subject to the condition that Drawing and Disbursement Officer concerned will ensure that the amount of Honorarium if paid to this officer for attending training camps etc. during Summer Vacations may adjust out of the amount of Leave Encashment to be paid to his.

J.GANESAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even

Dated Panchkula, the 25-8-21

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd.

1. The Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. District Elementary Education Officer, Rewari.
3. Treasury Officer, Rewari.
4. Sh. Surajbhan Singh, (Retd.) District Elementary Education Officer, Rewari.
5. IT Cell (Local).

Heelan
SUPERINTENDENT HRG-I
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA
cc



आदेश क्रमांक 5/10-2021 HRME-II(1)

दिनांक, पंचकुला :-

1. इसके द्वारा श्री कर्मवीर सिंह, उप-अधीक्षक कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यमुनानगर को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 2016, के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबन्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
2. इसके द्वारा श्री कर्मवीर सिंह से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा श्री कर्मवीर सिंह, को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो वह निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्हीं दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री कर्मवीर सिंह ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी श्री कर्मवीर सिंह को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(जे० गनेसुन)
निदेशक सैक्रेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

REGD.

श्री कर्मवीर सिंह, उप-अधीक्षक,
कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर।
पृष्ठांकन क्रमांक सम:-

दिनांक, पंचकुला:- 25/11/2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर।
2. आई०टी० सैल।

Swkenth
उप-अधीक्षक एच०आर०एम०ई०-11
कृते: निदेशक सैक्रेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

आरोप सूची- नियम-7 विरुद्ध श्री कर्मबीर सिंह, उप-अधीक्षक कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यमुनानगर ।

श्री कर्मबीर सिंह, उप-अधीक्षक दिनांक 11.08.2019 से 31.03.2020 तक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय यमुनानगर में बतौर उप-अधीक्षक कार्यरत रहते हुए जो अनियमितताएं की गई उसके लिये आपको निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है।

यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, CWP No2652 of 1998 titled as Chaman Kanta Sharma and others Vs State of Haryana & others, में पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 की अनुपालना में आप द्वारा समय रहते कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आप द्वारा बरती गई लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण विभाग एवं अधिकारियों को COCP No 2508 of 2020 titled as Chaman Kanta Sharma & others Vs Mahavir Singh & others in CWP No2652 of 1998 titled as Chaman Kanta Sharma and others Vs State of Haryana & others का सामना करना पड़ा जिससे विभागीय छवि धूमिल हुई है।

अतः उपरोक्त अनियमितताएं आप के गंभीर कदाचार को व्यक्त करती हैं। ऐसा करके आपने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियमावली, 2016 के नियम 5 (vi) की उल्लंघना की है जिस कारण आपने अपने आपको हरियाणा सिविल (दण्ड एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-7 के अन्तर्गत अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(जे० गनैसन)


निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

अभियोग सूची- नियम-7 विरुद्ध श्री कर्मबीर सिंह, उप-अधीक्षक कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यमुनानगर ।

श्री कर्मबीर सिंह, उप-अधीक्षक दिनांक 11.06.2019 से 31.03.2020 तक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय यमुनानगर में बतौर उप-अधीक्षक कार्यरत रहते हुए जो अनियमितताएं की गई उसके लिये उनको निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है।

यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, CWP No2652 of 1998 titled as Chaman Kanta Sharma and others Vs State of Haryana & others, में पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 की अनुपालना में कर्मचारी द्वारा समय रहते कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार कर्मचारी द्वारा बरती गई लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण विभाग एवं अधिकारियों को COCP No 2508 of 2020 Chaman Kanta Sharma & others Vs Mahavir Singh & others in CWP No2652 of 1998 titled as Chaman Kanta Sharma and others Vs State of Haryana & others का सामना करना पड़ा जिससे विभागीय छवि धूमिल हुई है।

अतः उपरोक्त अनियमितताएं श्री कर्मबीर सिंह, उप-अधीक्षक कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यमुनानगर के गंभीर कदाचार को व्यक्त करती है। ऐसा करके उन्होंने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियमावली, 2016 के नियम 5 (vi) की उल्लंघना की है जिस कारण उन्होंने अपने आपको हरियाणा सिविल (दण्ड एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-7 के अन्तर्गत अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।


(जे० गनैसन)
निदेशक सैक्रेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

गवाह/रिकार्ड सूची नियम-7 विरुद्ध श्री कर्मवीर सिंह, उप-अधीक्षक कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
यमुनानगर ।

गवाह सूची:-

1. सम्बन्धित अधीक्षक, अध्यापक स्थापना-।
2. सम्बन्धित सहायक, अध्यापक स्थापना-।

रिकार्ड सूची:-


1. मिसल क्रमांक 12/37-2018 अस्था0- (3) की नोटिंग पेज 58 से 68।



(जे0 गनेसन)
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
ध्वंचकुला।



**HARYANA GOVERNMENT
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**



Order No. 2/182-2021 HRG-I (3)

Dated: 24.08.2021

In terms of Punjab Civil Services Rules Volume-II Rule 5.32B, Smt. Saroj Kumari [36575], Principal, GSSS Pakasma (Rohtak) w.r.t her notice dated 31.05.2021 for voluntary retirement from Govt. service after putting more than 20 years qualifying service is hereby allowed to retire voluntarily from Govt. service with effect from 31.08.2021.

**DR. MAHAVIR SINGH, IAS
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

**Endst. No. Even
Regd.**

Dated, Panchkula, the 25.8.21

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Rohtak w.r.t their memo No. E-1/2021/4665 dated 27.07.2021. The service book of the officer is returned herewith.
3. Smt. Saroj Kumari [36575], Principal, GSSS Pakasma (Rohtak).
4. A separate copy for uploading the orders on MIS portal.
5. I.T. Cell (Local).

Heelan
**SUPERINTENDENT HRG-I
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**
ce

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ORDER

Approval is hereby accorded to start Science Stream in Government Senior Secondary School, Babail (2114) District Panipat w.e.f. Academic Year 2021-22.

Dated: 20.08.2021


J.Ganesan
Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

Endst. No. 6/19-2021- SE (4)

Dated: 25-8-2021

A copy is forwarded to the followings for information and necessary action.

1. The Secretary, Board of School Education, Haryana, Bhiwani.
2. PA/DSE.
3. PA/Additional Director.
4. PA/Joint Director.
5. District Education Officer, Panipat.
6. Principal GSSS, Babail (2114), Panipat.
7. I.T. Cell (Local).



Dy. Superintendent Secondary
for Director Secondary Education
Haryana Panchkula



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Biruser Akbarpur[6053], Nuh Mewat.

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक पंचकुला 24-08-2021

विषय

Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ वर्नमैट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Biruser Akbarpur (Nuh Mewat) [6053]	Const. of 3 ACR's with Vernda	1731000.00
	कुल राशि	1731000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 25.8.21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, मेवात को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त मेवात
- 3 जिला खजाना अधिकारी मेवात
- 4 उप खजाना अधिकारी, नूह (मेवात)/फिरोजपुर झिरका/पुनहाना (मेवात)/तावडू (मेवात)///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as-BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला। *HS*


15 both sides



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Chamarian[2693], Rohtak

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक पंचकुला 24-08-2021

विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ वर्नमैट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Chamarian (Rohtak) [2693]	Completion of Vernda, Room's and Hall	708000.00
	कुल राशि	708000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक
- 3 जिला खजाना अधिकारी रोहतक
- 4 उप खजाना अधिकारी, महम/साम्पला/कलानौर///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Samir Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Gharrot[1143], Palwal
Principal GSSS-Gharrot[1143], Palwal
Head Master GHS-Karman[1151], Palwal

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1) Group: 358
दिनांक पंचकुला 24-08-2021

विषय

Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ वर्नमैट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Gharrot (Palwal) [1143]	Multipurpose Hall	1443000.00
2 GSSS Gharrot (Palwal) [1143]	Const. of 4 Class Room's with Vernda	1932000.00
3 GHS Karman (Palwal) [1151]	Completion of work (Balance Amount)	670000.00
	कुल राशि	4045000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 25/8/21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पलवल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पलवल
- 3 जिला खजाना अधिकारी पलवल
- 4 उप खजाना अधिकारी, पलवल/होडल/हथीन///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanjay Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Ateli[3856], Mahendergarh

यादी कमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक पंचकुला 24-08-2021

विषय

Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ वर्नमैट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 कमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Ateli (Mahendergarh) [3856]	Const./ Repair of urinal's and Toilet's	1500000.00
	कुल राशि	1500000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी कमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुहम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त महेन्द्रगढ़
- 3 जिला खजाना अधिकारी महेन्द्रगढ़
- 4 उप खजाना अधिकारी, महेन्द्रगढ़/अटेली/नांगल चौधरी/कनीना///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Head Master GHS-Thuian[3391], Fatehabad

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक पंचकुला 24-08-2021

विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ वर्नमैट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Thuian (Fatehabad) [3391]	Construction of Boundary wall (balance amount)	378979.00
	कुल राशि	378979.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

sd-
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला— १५-४-२१

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद
- 3 जिला खजाना अधिकारी फतेहाबाद
- 4 उप खजाना अधिकारी, टोहाना/रतिया/भूना/जाखल/भट्टू कलां/ //
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanjay Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentSchool Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Garhi Bolni[2474], Rewari

Principal GSSS-Garhi Bolni[2474], Rewari

Principal GSSS-Gurawara[2479], Rewari

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1) Group: 359

दिनांक पंचकूला 24-08-2021

विषय

Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ वर्नमैट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Garhi Bolni (Rewari) [2474]	Repair of Room's with Vernda	1941000.00
2 GSSS Garhi Bolni (Rewari) [2474]	Constuction of Kitchen Shed with Corruagated Sheet	604000.00
3 GSSS Gurawara (Rewari) [2479]	Cycle Shed with Corrugated Sheet	3214000.00
	कुल राशि	5759000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रिवाड़ी
- 3 जिला खजाना अधिकारी रिवाड़ी
- 4 उप खजाना अधिकारी, कौसली/बावल / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sarajeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Kunjapura[1796], Karnal
Principal GSSS-Ghogripur[1862], Karnalयादी क्रमांक 2/79-2021 works (1) Group: 357
दिनांक पंचकुला 24-08-2021**विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.04.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Kunjpura (Karnal) [1796]	Construction of 3 Class room's with Vernda on RCC column beam	1918000.00
2 GSSS Ghogripur (Karnal) [1862]	Repair of room's with Vernda (Balance Amount)	977000.00
	कुल राशि	2895000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02--Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त करनाल
- 3 जिला खजाना अधिकारी करनाल
- 4 उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी/इन्द्री/घरौण्डा/असन्ध/निसिंग/तरावड़ी//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अंशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

✓ 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Head Master GHS-Chuli Kalan[1202], Hisar
 Head Master GHS-Dewan[1206], Hisar
 Head Master GHS-Dhani Sadal Pur[1209], Hisar
 Head Master GHS-Kishangarh[1238], Hisar
 Head Master GGHS-Hisar (Patel Nagar)[1258], Hisar
 Head Master GHS-Nara[1303], Hisar
 Head Master GHS-Uklana Gaon[1340], Hisar
 Principal GSSS-Arya Nagar[1423], Hisar
 Principal GGSSS-Mangali[1461], Hisar
 Principal GSSS-Mirch Pur[1463], Hisar

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1) Group: 356
 दिनांक पंचकुला 23-08-2021

विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Chuli Kalan (Hisar) [1202]	Cycle Shed with Corrugated sheet Iron star	1432000.00
2 GHS Dewan (Hisar) [1206]	Repair of School Building	1990400.00
3 GHS Dhani Sadal Pur (Hisar) [1209]	Major repair of Building, Const. of Boys Tiolet and repair of Girls 5 Toilets	544600.00
4 GHS Kishangarh (Hisar) [1238]	Repair of School Building	1999900.00
5 GGHS Hisar (Patel Nagar) (Hisar) [1258]	Repair of Rooms, Tiolet set and white wash of School Building	1131000.00
6 GHS Nara (Hisar) [1303]	Construction of 2 lab with Vernda and Practical post	1826000.00
7 GHS Uklana Gaon (Hisar) [1340]	Repair work	1980700.00
8 GSSS Arya Nagar (Hisar) [1423]	Repair of 4 room's with Vernda	1998000.00
9 GGSSS Mangali (Hisar) [1461]	White wash	256000.00
10 GSSS Mirch Pur (Hisar) [1463]	Const. of lab, Room with Vernda	1536000.00
	कुल राशि	14694600.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

scr
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकूला:- 25-8-21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार
- 3 जिला खजाना अधिकारी हिसार
- 4 उप खजाना अधिकारी, आदमपुर/हांसी/नारनौद/बरवाला/उकलाना/ / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GMSSSS-Sirsa[2844], Sirsa
Head Master GHS-Mahabir Dal[3063], Sirsaयादी क्रमांक 2/79-2021 works (1) Group: 360
दिनांक पंचकूला 24-08-2021

विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1. GMSSSS Sirsa (Sirsa) [2844]	Repair of maintaince work of extending toilet's	398400.00
2. GHS Mahabir Dal (Sirsa) [3063]	Construction of Boys and Girl's toilet's (Addl. Amount)	36800.00
	कुल राशि	435200.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला: 25.8.21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सिरसा
- 3 जिला खजाना अधिकारी सिरसा
- 4 उप खजाना अधिकारी, रानिया/डबवाली/ऐलनाबाद/कलांवली///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

**HARYANA GOVERNMENT
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT**

ORDER

Order No. 4/64-2021 PGT-II (7) Dated Panchkula the 18.08.2021

The On Road period of **Sh. Devender Kumar, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Karira (Mahendergarh)** from 10.02.2021 to 05.05.2021 (85 Days) is hereby treated as duty period for all intents and purposes as provided in Sub Rule 2 and Sub Rule 4 of Rule 7.3 of C.S.R. Volume I Part I.

**DR. MAHAVIR SINGH, IAS
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**

Endst. No. Even

Dated Panchkula the,

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh. *25/8/2021*
2. District Education Officer, Narnaul w.r.t. their Memo. No. E-2/2021/710 dated 17.06.2021.
3. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Karira (Mahendergarh).
4. Sh. Devender Kumar, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Karira (Mahendergarh).
- ✓ 5. IT Cell (Local).

Amokh
**DY. SUPERINTENDENT PGT-II
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**